

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।


धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष - अहमद खान ..... बगैरह ।

बनाम

वाद सं0 71/2022

द्वितीय पक्ष - रामदास पाण्डेय ..... बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
30/1/23	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 30/2022 दिनांक 29/06/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) अहमद खान उम्र 57 वर्ष पिता स्व० इसराईल खान (2) सतार खान उम्र 58 वर्ष पिता स्व० हबीब खान (3) जहाँगीर खान उम्र 25 वर्ष पिता स्व० मनान खान तीनों ग्राम पतुरा थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) रामदरश पाण्डेय उम्र 58 वर्ष (2) रामनिवास पाण्डेय दोनो पिता स्व० वृन्दावन पाण्डेय (3) रवि पाण्डेय पिता स्व० रामनिवास पाण्डेय तीनों ग्राम लोंगा थाना बसिया जिला गुमला (4) रामनिवास पाण्डेय तीनों ग्राम लोंगा थाना बसिया जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर आपसी विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: right;">अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।</p>	